सबसे पहले
लाइफ इंश्योरेंस

# प्रीमियम रुक जाए.

## फ़ायदे चलते रहें.

## एलआईसी का
# जीवन लाभ

एक पार, नॉन–लिंक्ड, जीवन, व्यक्तिगत, बचत प्लान

Plan No.: 736 UIN No.: 512N304V03

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

*हर पल आपके साथ*

डाउनलोड करें एलआईसी मोबाइल ऐप LIC digital

कॉल सेन्टर सर्विस (022) 6827 6827

हमारा वॉट्सएप नं. 8976862090 कहिए 'Hi'

अपने एजेंट/शाखा से संपर्क करें या हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर विज़िट करें या एसएमएस करें 'आपके शहर का नाम' 56767474 पर

हमें यहाँ फॉलो करें: LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

LIC/P1/2024-25/18/Hin/SB

# एलआईसी का जीवन लाभ (यूआईएन : 512N304V03)
## (एक सहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत बचत योजना)

एलआईसी का जीवन लाभ सुरक्षा और बचत संबंधी सुविधाओं का आकर्षक संयोजन प्रदान करने वाली एक सहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत, बचत योजना है। यह संयोजन परिपक्वता से पहले किसी भी समय पॉलिसीधारक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में मृतक पॉलिसीधारक के परिवार को वित्तीय सहायता और परिपक्वता के समय जीवित रहने वाले पॉलिसीधारक को एकमुश्त राशि प्रदान करता है।

यह योजना लाइसेंस प्राप्त अभिकर्ताओं, कॉर्पोरेट अभिकर्ताओं, दलालों और बीमा विपणन फर्मों के माध्यम से ऑफ़लाइन खरीदी जा सकती है।

**मुख्य विशेषताएँ:**

- सुरक्षा भी, बचत भी।
- सीमित प्रीमियम भुगतान
- चयन का विकल्प
  - सुविधा अनुसार प्रीमियम भुगतान की आवृत्ति का चयन
  - अवधि – 16, 21 और 25 वर्ष की सुरक्षा अवधि का चयन
  - किस्तों में हितलाभ के भुगतान का विकल्प।
- राइडर हितलाभों के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करने पर राइडर हितलाभों का चयन कर बीमा सुरक्षा बढ़ाने का विकल्प।
- आकर्षक उच्च बीमा राशि छूट का लाभ।
- ऋण सुविधा के माध्यम से तरलता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति।

## 1. पात्रता की शर्तें तथा अन्य प्रतिबंध:

ए) पॉलिसी अवधि/प्रीमियम भुगतान अवधि : (16/10), (21/15) और (25/16) वर्ष

बी) प्रवेश के समय न्यूनतम उम्र : [8] वर्ष (पूर्ण)

सी) प्रवेश के समय अधिकतम उम्र : [59] वर्ष (निकटतम जन्मदिन) पॉलिसी अवधि 16 वर्ष के लिए
[54] वर्ष (निकटतम जन्मदिन) पॉलिसी अवधि 21 वर्ष के लिए
[50] वर्ष (निकटतम जन्मदिन) पॉलिसी अवधि 25 वर्ष के लिए

डी) प्रीमियम समाप्ति पर अधिकतम उम्र : [75] वर्ष (निकटतम जन्मदिन)

ई) न्यूनतम मूल बीमा राशि : रु. 2,00,000

एफ) अधिकतम मूल बीमा राशि : कोई सीमा नहीं

(मूल बीमा राशि नीचे उल्लेख की गई राशियों के गुणकों में होगी):

| मूल बीमा राशि सीमा | बीमा राशि गुणक |
|---|---|
| रु. 2,00,000/– से रु. 4,50,000/– तक | रु. 10,000/– |
| रु. 4,50,000/– से अधिक | रु. 25,000/– |

**प्लान के अंतर्गत जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि:**

उनके लिए पॉलिसी प्रारंभ होने की तिथि के साथ ही जोखिम प्रारंभ हो जाएगा।

**प्लान के अंतर्गत निहित होने की तिथि:**

अगर पॉलिसी किसी अवयस्क के जीवन पर जारी की गई है तो उसके 18 वर्ष की उम्र पूरे करने के साथ मेल खाने वाली या तुरन्त उसके बाद के पॉलिसी वर्षगांठ पर पॉलिसी अपने आप बीमित जीवन पर निहित हो जाएगी और उसे निगम तथा बीमित व्यक्ति के बीच संविदा माना जाएगा।

## 2. हितलाभ:

**ए. मृत्यु हितलाभ:**

जोखिम के आरंभ होने की तिथि के बाद बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर देय मृत्यु हितलाभ **"मृत्यु पर बीमा राशि"** के साथ अर्जित गारंटीड एडीशन्स के समान होगा, बशर्ते पॉलिसी लागू हो। **"मृत्यु पर बीमा राशि"** को मूल बीमा राशि या वार्षिकीकृत प्रीमियम के 7 गुना में से जो भी अधिक हो, के रूप में परिभाषित किया गया है।

यह मृत्यु हितलाभ, मृत्यु की तिथि तक भुगतान किए गए समस्त प्रीमियमों के 105% से कम नहीं होगा।

**जहाँ,**

i. **"वार्षिक प्रीमियम"** पॉलिसीधारक द्वारा चुनी गई एक वर्ष में देय प्रीमियम राशि होगी, जिसमें कर, राइडर प्रीमियम, बीमांकन अतिरिक्त प्रीमियम और मोडल प्रीमियम के लिए लोडिंग, यदि कोई हो, शामिल नहीं हैं।

ii. **"भुगतान की गई कुल प्रीमियम"** का अर्थ है किसी भी अतिरिक्त प्रीमियम, राइडर प्रीमियम और करों को छोड़कर प्राप्त सभी प्रीमियमों का कुल योग। यदि एलआईसी के प्रीमियम छूट हितलाभ राइडर का विकल्प चुना जाता है, तो प्रस्तावक की मृत्यु होने की स्थिति में, माफ की जाने वाली कोई भी अनुवर्ती प्रीमियम प्राप्त की गई और भुगतान की गई कुल प्रीमियम में सम्मिलित मानी जाएगी।

**बी. परिपक्वता संबंधी हितलाभ:**

पॉलिसी अवधि के समापन तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो, निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो, के साथ **"परिपक्वता पर बीमा राशि"** देय होगी। जहाँ, **"परिपक्वता पर बीमा राशि"** मूल बीमा राशि के बराबर है।

**सी. लाभों में प्रतिभागिता:**

यह पॉलिसी निगम के लाभों में प्रतिभागी होगी और निगम के अनुभव के अनुसार घोषित किए जाने वाले सरल प्रत्यावर्ती बोनस प्राप्त करने की अधिकारी होगी, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो।

यदि प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया जाएगा, तो पॉलिसी भविष्य के लाभों में प्रतिभागी नहीं होगी, चाहे पॉलिसी ने चुकता मूल्य प्राप्त कर लिया हो या नहीं।

सरल प्रत्यावर्ती बोनस प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में वार्षिक रूप से घोषित किए जाएँगे। घोषित किए जाने के बाद, सरल प्रत्यावर्ती बोनस निगम द्वारा घोषित नियमों और शर्तों पर योजना के गारंटीकृत लाभों का भाग बन जाएँगे।

पॉलिसी का अभ्यर्पण किए जाने की स्थिति में, अभ्यर्पण की तिथि पर लागू अनुसार निहित बोनस का अभ्यर्पण मूल्य, यदि कोई हो, देय होगा।

या तो मृत्यु या परिपक्वता के कारण पॉलिसी के परिणामस्वरूप दावा के वर्ष में भी पॉलिसी के अंतर्गत ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों पर, जैसा कि निगम द्वारा घोषित की जा सकती हैं, अंतिम अतिरिक्त बोनस घोषित किए जा सकते हैं।

बीमांकित जाँच से उत्पन्न होने वाले अधिशेष में से पॉलिसीधारकों को वास्तविक आवंटन इस संबंध में एलआईसी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार होगा।

## 3. उपलब्ध विकल्प:

**I. राइडर हितलाभ:**

इस प्लान के अंतर्गत अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर निम्नांकित चार वैकल्पिक राइडर्स (या इनके संशोधित स्वरूप) उपलब्ध हैं। हालाँकि, पॉलिसीधारक द्वारा एलआईसी के दुर्घटनात्मक मृत्यु एवं दिव्यांगता हितलाभ राइडर या एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर में से किसी एक को तथा/या नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, पात्रता के अधीन बाकी दो राइडर्स को चुना जा सकता है।

**ए. एलआईसी का दुर्घटना से मृत्यु एवं दिव्यांगता लाभ राइडर (UIN: 512B209V02)**

इस राइडर को प्रभावी पॉलिसी के लिए मूल प्लान की प्रीमियम भुगतान अवधि में किसी भी समय लिया जा सकता है, बशर्ते मूल प्लान की शेष प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो बीमित व्यक्ति के 70 वर्ष की उम्र के होने के नजदीकी जन्म दिन के पॉलिसी वर्षगांठ तक इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ संरक्षण उपलब्ध होगा, अगर इस राइडर को दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति के लिए चुना जाता है, तो दुर्घटना हितलाभ राइडर बीमा राशि एकमुश्त रूप से देय होगी। दुर्घटना के कारण (दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के अंदर) दिव्यांगता पैदा होने पर दुर्घटना लाभ बीमा राशि के समान राशि का भुगतान 10 वर्षों की अवधि में समान मासिक किस्तों में किया जाएगा तथा दुर्घटना लाभ बीमा राशि के लिए भविष्य के प्रीमियम्स तथा मूल पॉलिसी के अंतर्गत मूल बीमा राशि, जो कि दुर्घटना लाभ बीमा राशि के समान है, के अंश हेतु प्रीमियम्स को माफ कर दिया जाएगा। अवयस्कों के जीवन पर पॉलिसी के अंतर्गत, यह राइडर 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर पॉलिसी वर्षगांठ से, इस विषय में विशेष अनुरोध प्राप्त होने पर उपलब्ध होगा।

**बी. एलआईसी का दुर्घटना लाभ राइडर (UIN:512B203V03)**

इस राइडर को प्रभावी पॉलिसी के लिए मूल प्लान की प्रीमियम भुगतान अवधि में किसी भी समय लिया जा सकता है, बशर्ते मूल प्लान तथा राइडर की शेष प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ संरक्षण पॉलिसी अवधि के दौरान उपलब्ध होगा। अगर इस राइडर को दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति के लिए चुना जाता है, तो दुर्घटना लाभ राइडर बीमा राशि एकमुश्त रूप में देय होगी। अवयस्कों के जीवन पर पॉलिसी के अंतर्गत, यह राइडर 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर पॉलिसी वर्षगांठ से, इस विषय में विशेष अनुरोध प्राप्त होने पर उपलब्ध होगा।

**सी. एलआईसी का न्यू टर्म एश्योरेन्स राइडर (UIN: 512B210V02)**

यह राइडर केवल पॉलिसी के आरंभ में उपलब्ध है। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ संरक्षण पॉलिसी अवधि के दौरान उपलब्ध होगा। अगर इस राइडर को चुना जाता है, तो बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर 'टर्म राइडर मृत्यु पर बीमा राशि' के समान एक राशि का भुगतान किया जाएगा।

**डी. एलआईसी का प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर (UIN: 512B204V04)**

किसी प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत, किसी भी समय पॉलिसी के प्रस्तावक के जीवन पर इस राइडर को पॉलिसी वर्षगांठ के समय, लेकिन मूल पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान लिया जा सकता है, बशर्ते मूल पॉलिसी तथा राइडर की प्रीमियम भरने की बकाया अवधि कम से कम पांच वर्ष हो। साथ ही पॉलिसी के अंतर्गत इस राइडर को लेने की वहां अनुमति होगी जहां इस राइडर को लेते समय बीमित व्यक्ति अवयस्क है। राइडर की अवधि या तो इस राइडर को चुनने की तिथि पर मूल पॉलिसी की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि होगी या (राइडर लेते समय अवयस्क बीमित व्यक्ति की उम्र में से 25 घटाकर) जो भी कम हो। अगर राइडर की अवधि + प्रस्तावक की उम्र 70 वर्ष से अधिक हो तो राइडर की अनुमति नहीं होगी।

अगर इस राइडर को लिया जाता है तो, प्रस्तावक की मृत्यु होने पर, मृत्यु की तिथि के बाद से राइडर अवधि की समाप्ति तक देय होने वाले प्रीमियम्स को माफ कर दिया जाएगा। लेकिन किसी स्थिति में, अगर मूल पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि, राइडर की अवधि से अधिक हो तो इस प्रीमियम माफी बेनिफिट राइडर अवधि की समाप्ति की तिथि से देय होने वाले मूल पॉलिसी के अंतर्गत अगले प्रीमियम्स का भुगतान बीमित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। ऐसे प्रीमियम्स का भुगतान न करने पर पॉलिसी चुकता पॉलिसी बन जाएगी।

सभी जीवन बीमा राइडर्स के अंतर्गत कुल प्रीमियम बेस प्लान के अंतर्गत प्रीमियम्स के 30% से अधिक नहीं होगा।

एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर के संबंध में राइडर बीमा राशि मूल उत्पाद के अंतर्गत मूल बीमा राशि के तीन गुना से अधिक नहीं होगी। अन्य सभी राइडरों में से प्रत्येक के अंतर्गत उत्पन्न होने वाला कोई भी हितलाभ मूल उत्पाद के अंतर्गत मूल बीमा राशि से अधिक नहीं होगा।

उपरोक्त राइडर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए, राइडर ब्रोशर देखें या एलआईसी के नजदीक शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

**II. परिपक्वता हितलाभ के लिए निपटान विकल्प:**

निपटान विकल्प प्रभावी और चुकता पॉलिसी के अंतर्गत परिपक्वता हितलाभ को एकमुश्त राशि के बदले 5 या 10 या 15 वर्षों की चुनी हुई अवधि में, किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प है। इस विकल्प को पॉलिसीधारक द्वारा बीमित व्यक्तियों की अवयस्कता के दौरान या 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र के बीमित व्यक्तियों द्वारा, अपने जीवनकाल के दौरान, पॉलिसी के अंतर्गत देय परिपक्वता हितलाभ के पूर्ण या एक हिस्से के लिए अपनाया जा सकता है। बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (अर्थात दावे की कुल राशि) दावे की कुल देय राशि के परम मूल्य या प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान, चुने गए अनुसार, वार्षिक या अर्द्ध–वार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से किया जाएगा, जो कि विभिन्न भुगतान माध्यमों के लिए नीचे दी गई न्यूनतम किस्त राशि के अधीन होगा:

| किस्त भुगतान का माध्यम | न्यूनतम किस्त राशि |
|---|---|
| मासिक | रु. 5,000/– |
| त्रैमासिक | रु. 15,000/– |
| अर्द्ध–वार्षिक | रु. 25,000/– |
| वार्षिक | रु. 50,000/– |

अगर दावे की कुल राशि पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प हेतु न्यूनतम किस्त राशि से कम है तो राशि का केवल एकमुश्त भुगतान ही किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल की 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए प्रत्येक किस्त की राशि की गणना करने के लिए इस्तेमाल की गई ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी, जो 10 वर्षीय अर्द्ध-वार्षिक जी-सेक प्रतिफल प्रतिवर्ष में से 2% घटाकर उससे कम नहीं होगी, जहाँ 10 वर्षीय अर्द्ध-वार्षिक जी-सेक प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगी। तदनुसार, 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की 12 माह की अवधि के दौरान किस्त राशि की गणना के लिए लागू ब्याज दर 5.07% प्रतिवर्ष प्रभावी होगी.

परिपक्वता हितलाभ में निपटान विकल्प का इस्तेमाल करना, पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति को परिपक्वता की देय तिथि से कम से कम 3 माह पहले, किस्तों में दावे की कुल राशि को पाने के लिए विकल्प को चुनना होगा।

पहला भुगतान परिपक्वता की तिथि को किया जाएगा और उसके बाद पॉलिसीधारक द्वारा चुने हुए किस्त भुगतान के माध्यम के अनुसार परिपक्वता की तिथि से प्रत्येक महीने या त्रैमासिक या अर्द्ध-वार्षिक या वार्षिक आधार पर, जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जाएगा।

**निपटान विकल्प के अंतर्गत किस्त भुगतान शुरू होने के बाद:**

ए. अगर किसी बीमित व्यक्ति ने जिसने परिपक्वता हितलाभ के निपटान विकल्प को चुना है, अब उस विकल्प को वापस लेकर बकाया किस्तों को एक साथ लेना चाहता है, तो बीमित व्यक्ति से इस बारे में लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर इसकी अनुमति होगी। ऐसे मामले में, एकमुश्त राशि जो कि निम्नलिखित में से जो भी अधिक हो, के समान होगी तथा पॉलिसी को रद्द कर दिया जाएगा।

- भविष्य में देय सभी किस्तों का रियायती मूल्य; या
- (मूल राशि जिसके लिए निपटान विकल्प पर अमल किया गया था)- (अदा की जा चुकी किस्तों का योगफल)

बी. भविष्य के किस्त भुगतानों को डिस्काउंट करने के लिए अपनाई जाने वाली ब्याज दर 10 वर्ष तक के लिए छमाही जी-सेक दर से वार्षिक प्रभावी दर होगी; जहां 10 वर्ष की छमाही जी-सेक दर पूर्व वित्तीय वर्ष के अंतिम कामकाजी दिन, जिसके दौरान निपटान विकल्प को निपटाया गया था, के अनुसार होगी। तदनुसार, 1 मई, 2024 से आरंभ कर 30 अप्रैल, 2025 तक चलने वाली 12 माह की अवधि के दौरान सभी निपटान विकल्पों के संबंध में, भविष्य की किस्तों के लिए प्रयुक्त, या भविष्य की किस्तों में छूट देने वाली अधिकतम प्रभावी ब्याज दर 7.07% प्रति वर्ष होगी।

सी. परिपक्वता की तिथि के पश्चात, बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, जिसने निपटान विकल्प चुना हो, बकाया किस्तों का भुगतान नामित व्यक्ति को बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार, बिना किसी बदलाव किया जाता रहेगा, और नामित व्यक्ति को इसमें कोई बदलाव नहीं करने दिया जाएगा।

**III. मृत्यु हितलाभ को किस्तों में लेने का विकल्प:**

यह मृत्यु हितलाभ को एकमुश्त राशि के बदले 5 या 10 या 15 वर्षों की चुनी हुई अवधि में, किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प है। इस विकल्प को पॉलिसीधारक द्वारा बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान या 18 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र के बीमित व्यक्तियों द्वारा, अपने जीवनकाल के दौरान, पॉलिसी के अंतर्गत देय मृत्यु हितलाभ के पूर्ण या एक हिस्से के लिए अपनाया जा सकता है। पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (अर्थात दावे की कुल राशि) दावे की कुल देय राशि का पूर्ण मूल्य या प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान, चुने गए अनुसार, वार्षिक या अर्द्ध-वार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से किया जाएगा, जो कि विभिन्न भुगतान माध्यमों के लिए नीचे दी गई न्यूनतम किस्त राशि के अधीन होगी।

| किस्त भुगतान का माध्यम | न्यूनतम किस्त राशि |
|---|---|
| मासिक | रु. 5,000/- |
| त्रैमासिक | रु. 15,000/- |
| अर्द्ध-वार्षिक | रु. 25,000/- |
| वार्षिक | रु. 50,000/- |

अगर दावे की कुल राशि पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प हेतु न्यूनतम किस्त राशि से कम है तो राशि का केवल एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल की 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए प्रत्येक किस्त की राशि की गणना करने के लिए इस्तेमाल की गई ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी, जो 10 वर्षीय अर्द्ध-वार्षिक जी-सेक प्रतिफल प्रतिवर्ष में से 2% घटाकर उससे कम नहीं होगी, जहाँ 10 वर्षीय अर्द्ध-वार्षिक जी-सेक प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन

के अनुसार होगी। तदनुसार, 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की 12 माह की अवधि के दौरान किस्त राशि की गणना के लिए लागू ब्याज दर 5.07% प्रतिवर्ष प्रभावी होगी.

किस्तों में मृत्यु हितलाभ लेने के विकल्प को चुनने के लिए, बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान पॉलिसीधारक या बीमित व्यक्ति अगर वह वयस्क हो, पॉलिसी के चालू रहने के समय अपने जीवन काल में किस्त भुगतान की अवधि तथा कुल दावा राशि, जिसके लिए वह विकल्प को चुनना चाहता है, का उल्लेख करते हुए इस विकल्प को चुन सकता है। पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार तब नामित व्यक्ति को मृत्यु दावे की राशि का भुगतान किया जाएगा और नामित व्यक्ति को इसमें कोई बदलाव नहीं करने दिया जाएगा।

## 4. प्रीमियमों का भुगतान

प्रीमियम्स का भुगतान नियमित रूप से वार्षिक, अर्द्ध-वार्षिक, त्रैमासिक या मासिक अंतरालों में (केवल एनएसीएच या पॉलिसी अवधि के दौरान वेतन से कटौती के ज़रिए) किया जा सकता है।

## 5. अनुग्रह अवधि

भुगतान न हुई प्रीमियम की पहली तिथि से मासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए 15 दिन तथा वार्षिक या अर्द्ध-वार्षिक या त्रैमासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए 30 दिन की एक अनुग्रह अवधि होगी। इस अवधि के दौरान, इस पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, यह पॉलिसी बिना किसी रुकावट के, जोखिम बीमा-सुरक्षा के साथ प्रभावी मानी जाएगी। यदि अनुग्रह अवधि के दिन पूरे होने से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाती है।

उपरोक्त अनुग्रह अवधि उन हितलाभ प्रीमियमों के लिए भी लागू होगी, जो मूल पॉलिसी की प्रीमियम के साथ देय हैं।

## 6. नमूने के लिए उदाहरणार्थ प्रीमियम :

मानक जीवन के लिए रु. 2 लाख की मूल बीमाकृत राशि के लिए नमूने की उदाहरणार्थ वार्षिक प्रीमियम निम्नानुसार है:

| आयु (वर्षों में) | पॉलिसी अवधि/प्रीमियम भुगतान अवधि (वर्षों में) | | |
|---|---|---|---|
| | 16 (10) | 21 (15) | 25 (16) |
| 20 | 17,718 | 11,623 | 9,908 |
| 30 | 17,767 | 11,701 | 10,025 |
| 40 | 18,012 | 12,054 | 10,476 |
| 50 | 18,855 | 13,083 | 11,682 |

उपरोक्त प्रीमियम कर कटौती योग्य है।

## 7. छूट :

विधि छूट:

वार्षिक विधि – सारणीबद्ध प्रीमियम का 2%

अर्द्ध-वार्षिक विधि – सारणीबद्ध प्रीमियम का 1%

त्रैमासिक, मासिक एवं वेतन कटौती – शून्य

**उच्च बीमाकृत राशि छूट (प्रीमियम पर):**

| मूल बीमाकृत राशि (बीएसए) | छूट (रु.) |
|---|---|
| रु. 2,00,000 से रु. 4,90,000 से कम | शून्य |
| रु. 5,00,000 से रु. 10,00,000 से कम | 2.00%o बी.एस.ए. |
| रु. 10,00,000 से रु. 15,00,000 से कम | 3.00%o बी.एस.ए. |
| रु. 15,00,000 और उससे अधिक | 3.50%o बी.एस.ए. |

## 8. पुनर्चलन

यदि प्रीमियम का भुगतान अनुग्रह के दिनों के समापन के पहले नहीं किया जाता है तो इससे पॉलिसी कालातीत हो जाएगी। किसी कालातीत पॉलिसी को भुगतान न की गई पहली प्रीमियम की तिथि से 5 क्रमागत वर्षों की अवधि के भीतर और परिपक्वता की तिथि से पहले, जैसा भी मामला हो, पुनर्चलित करवाया जा सकता है। यह पुनर्चलन समय-समय पर निगम द्वारा निर्धारित की जा सकने वाली दरों पर ब्याज (चक्रवृद्धि अर्द्ध-वार्षिक) के साथ प्रीमियम(मों) की समस्त बकाया राशियों के भुगतान पर एवं जीवन बीमित व्यक्ति और/या प्रस्तावक (यदि एलआईसी का प्रीमियम माफी लाभ राइडर चुना

गया हो) की निरंतर बीमा योग्यता की संतुष्टि होने पर प्रभावी होगा, और यह संतुष्टि उन जानकारियों, दस्तावेजो और प्रतिवेदनों के आधार पर होगी, जो पहले से ही उपलब्ध हैं और इस संबंध में ऐसी किन्हीं अतिरिक्त जानकारियों के आधार पर होगी, जो पुनर्चलन के समय पर निगम की बीमांकन नीति के अनुसार आवश्यक हो सकती हैं और जिन्हें पॉलिसीधारक/जीवन बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक द्वारा प्रदान किया जाता है।

निगम के पास मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों पर स्वीकार करने या स्थगित पॉलिसी के पुनःप्रचालन से इन्कार करने का अधिकार सुरक्षित है। स्थगित पॉलिसी का पुनर्चलन केवल उसे निगम द्वारा स्वीकृत करने एवं पॉलिसीधारक को विशेष रूप से इसके बारे में पुनर्चलन रसीद किए जाने के बाद प्रभावी होगा।

1 मई से आरंभ कर 30 अप्रैल तक चलने वाली प्रत्येक 12 माह की अवधि के लिए, इस उत्पाद के अंतर्गत पुनर्चलन के लिए लागू ब्याज दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि के साथ 10 वर्षीय जी–सेक प्रतिफल में 3% जोड़कर उसके योग, या निगम की असंबद्ध, सहभागी निधि पर अर्जित प्रतिफल में 1% जोड़कर उसके योग, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2024 से आरंभ कर 30 अप्रैल, 2025 तक चलने वाली 12 माह की अवधि के लिए, लागू ब्याज दर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि के साथ 9.50% प्रति वर्ष होगी।

पॉलिसी पुनर्चलन के लिए ब्याज दर निर्धारण के आधार में परिवर्तन हो सकता है।

राइडर (र्स) का पुनर्चलन, अगर चुना गया हो, तो केवल मूल पॉलिसी के पुनर्चलन के साथ विचारणीया होगा तथा अलग से नहीं किया जाएगा।

## 9. चुकता पॉलिसी:

यदि एक वर्ष से कम प्रीमियम का भुगतान किया गया है, और किसी भी अनुवर्ती प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया है, तो पॉलिसी के अंतर्गत सभी लाभ भुगतान न की गई पहली प्रीमियम की तिथि से अनुग्रह अवधि की समाप्ति के बाद स्थगित हो जाएँगे और कुछ भी देय नहीं होगा।

यदि कम से कम एक पूर्ण वर्ष के प्रीमियम का भुगतान किया गया है और किसी भी अनुवर्ती प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया है, तो पॉलिसी पूर्णतः शून्य नहीं होगी, बल्कि पॉलिसी अवधि के अंत तक प्रदत्त पॉलिसी के रूप में कायम रहेगी।

प्रदत्त पॉलिसी के अंतर्गत "मृत्यु पर बीमाकृत राशि मृत्यु प्रदत्त बीमाकृत राशि" नामक ऐसी एक राशि तक कम हो जाएगी और वह मृत्यु पर बीमाकृत राशि के बराबर होगी जो उस कुल अवधि के अनुपात के गुणक में होगी, जिसके लिए प्रीमियमों का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, जो उस अधिकतम अवधि के लिए, जिसके लिए प्रीमियमें मूल रूप से देय थीं। जीवन बीमित व्यक्ति की पूर्व मृत्यु पर मृत्यु प्रदत्त बीमाकृत राशि के अतिरिक्त, निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनस, यदि कोई हो, भी देय होगा। यह मृत्यु हितलाभ मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगा।

प्रदत्त पॉलिसी के अंतर्गत "परिपक्वता पर बीमाकृत राशि परिपक्वता प्रदत्त बीमाकृत राशि" नामक ऐसी एक राशि तक कम हो जाएगी और वह परिपक्वता पर बीमाकृत राशि जो उस कुल अवधि के अनुपात के गुणक में होगी, जिसके लिए प्रीमियमों का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, उस अधिकतम अवधि के लिए, जिसके लिए प्रीमियमें मूल रूप से देय थीं, के बराबर होगी। पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर परिपक्वता प्रदत्त बीमाकृत राशि के अलावा, निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनस, यदि कोई हो, भी देय होगा।

एक प्रदत्त पॉलिसी भावी लाभों में प्रतिभागिता के लिए पात्र नहीं होगी। हालाँकि, निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनस, यदि कोई हो, प्रदत पॉलिसी से जुडे रहेगे

राइडर (र्स) का कोई प्रदत्त मूल्य नहीं होता है और हितलाभ लाभों का लागू होना स्थगित हो जाएगा,

यदि पॉलिसी कालातीत स्थति में होती है।

## 10. अभ्यर्पण

पॉलिसी पहले पॉलिसी वर्ष के पूरा होने के बाद किसी भी समय अभ्यर्पित की सकती है, बशर्ते कि एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो। हालाँकि, पॉलिसी कम से कम दो पूर्ण वर्षों की प्रीमियम के भुगतान पर गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य और पहला पॉलिसी वर्ष पूरा होने के बाद विशेष अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त करेगी, बशर्ते कि एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो। पॉलिसी के अभ्यर्पण पर, निगम द्वारा गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान किया जाएगा, जो गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य और विशेष अभ्यूर्पण मूल्य के बराबर या उससे अधिक होगा।

पॉलिसी अवधि के दौरान गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य भुगतान की गई कुल प्रीमियमों (इसमें अतिरिक्त प्रीमियमें, कर और हितलाभ(भों) के लिए प्रीमियमें, यदि इन्हें चुना गया हो, शामिल नहीं हैं) के

बराबर भुगतान की गई कुल प्रीमियमों के लिए लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक के गुणक में होगा। जिसका प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त ये गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक पॉलिसी अवधि और उस पॉलिसी वर्ष पर निर्भर होंगे, जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की गई है और वे निम्नानुसार हैं:

| भुगतान की गई कुल प्रीमियमों के लिए लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक | | | |
|---|---|---|---|
| पॉलिसी वर्ष | पॉलिसी अवधि (प्रीमियम भुगतान अवधि)...> | | |
| | 16 (10) | 21(15) | 25 (16) |
| 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 30.00% | 30.00% | 30.00% |
| 3 | 35.00% | 35.00% | 35.00% |
| 4 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| 5 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| 6 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| 7 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| 8 | 53.75% | 52.30% | 51.80% |
| 9 | 57.50% | 54.60% | 53.50% |
| 10 | 61.25% | 56.90% | 55.30% |
| 11 | 65.00% | 59.20% | 57.10% |
| 12 | 68.75% | 61.50% | 58.80% |
| 13 | 72.50% | 63.80% | 60.60% |
| 14 | 76.25% | 66.20% | 62.40% |
| 15 | 90.00% | 68.50% | 64.10% |
| 16 | 90.00% | 70.80% | 65.90% |
| 17 | | 73.10% | 67.60% |
| 18 | | 75.40% | 69.40% |
| 19 | | 77.70% | 71.20% |
| 20 | | 90.00% | 72.90% |
| 21 | | 90.00% | 74.70% |
| 22 | | | 76.50% |
| 23 | | | 78.20% |
| 24 | | | 90.00% |
| 25 | | | 90.00% |

इसके अतिरिक्त, किन्हीं निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनसों, यदि कोई हों, का अभ्यर्पण मूल्य भी देय होगा, जो निहित बोनस पर लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक के गुणक बराबर होगा। ये कारक पॉलिसी अवधि और उस पॉलिसी वर्ष पर निर्भर होंगे, जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की गई है और वे निम्नानुसार हैं:

| निहित बोनसों के लिए लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक | | | |
|---|---|---|---|
| पॉलिसी वर्ष | पॉलिसी अवधि (प्रीमियम भुगतान अवधि)...> | | |
| | 16 (10) | 21(15) | 25 (16) |
| 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 17.58% | 15.93% | 15.28% |
| 4 | 17.66% | 16.22% | 15.42% |
| 5 | 17.85% | 16.58% | 15.55% |
| 6 | 18.16% | 17.03% | 15.72% |
| 7 | 18.60% | 17.58% | 15.93% |
| 8 | 19.18% | 17.58% | 16.22% |
| 9 | 19.93% | 17.66% | 16.58% |
| 10 | 20.85% | 17.85% | 17.03% |
| 11 | 21.99% | 18.16% | 17.58% |
| 12 | 23.38% | 18.60% | 17.58% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | 25.05% | 19.18% | 17.66% |
| 14 | 27.06% | 19.93% | 17.85% |
| 15 | 30.00% | 20.85% | 18.16% |
| 16 | 35.00% | 21.99% | 18.60% |
| 17 | | 23.38% | 19.18% |
| 18 | | 25.05% | 19.93% |
| 19 | | 27.06% | 20.85% |
| 20 | | 30.00% | 21.99% |
| 21 | | 35.00% | 23.38% |
| 22 | | | 25.05% |
| 23 | | | 27.06% |
| 24 | | | 30.00% |
| 25 | | | 35.00% |

विशेष अभ्यर्पण मूल्य की आईआरडीएआई के जीवन बीमा उत्पादों पर प्रधान परिपत्र देखें : आईआरडीएआई/एसीटीएल/एमएसटीसीआई/एमआईएससी/89/6/2024 दिनांकित 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किसी भी अनुवर्ती परिपत्रों के अनुरूप वार्षिक रूप से समीक्षा की जाएगी।

राइडर (यदि कोई हो) पर कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा।

अभ्यर्पण मूल्य के भुगतान के बाद, पॉलिसी समाप्त हो जाएगी और कोई और लाभ देय नहीं होगा।

## 11. पॉलिसी ऋण

निम्नलिखित के अधीन, पॉलिसी अवधि के दौरान अभ्यर्पण मूल्य के भीतर ऋण उपलब्ध होगा:

i. पहला पॉलिसी वर्ष पूरा होने के बाद पॉलिसी के अंतर्गत ऋण का लाभ प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते कि एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो।

ii. पॉलिसी के अंतर्गत, अभ्यर्पण मूल्य के प्रतिशत के रूप में, अधिकतम ऋण निम्नानुसार होगा:

| पॉलिसी की स्थिति | दो पूर्ण वर्ष की प्रीमियम के भुगतान से पहले | दो पूर्ण वर्ष की प्रीमियम के भुगतान के बाद |
|---|---|---|
| चालू पॉलिसियों के अंतर्गत | 50% | 80% |
| चुकता पॉलिसियों के अंतर्गत | 40% | 70% |

iii. इस पॉलिसी के अंतर्गत 1 मई से आरंभ कर 30 अप्रैल तक चलने वाली प्रत्येक 12 माह की अवधि के लिए प्राप्त किए जाने वाले ऋण के लिए पूर्ण ऋण अवधि के लिए लागू ऋण की ब्याज दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन तक अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि के साथ 10 वर्षीय जी-सेक प्रतिफल में 3% जोड़कर उसके योग, या निगम की असंबद्ध, सहभागी निधि पर अर्जित प्रतिफल में 1% जोड़कर उसके योग, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2024 से आरंभ कर 30 अप्रैल, 2025 तक चलने वाली 12 माह की अवधि के दौरान स्वीकृत ऋण के लिए लागू ब्याज दर ऋण की पूरी अवधि के लिए अर्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 9.5% प्रति वर्ष होगी। पॉलिसी ऋण के लिए ब्याज दर निर्धारण का आधार परिवर्तनाधीन है।

iv. पॉलिसी अवधि के दौरान, देय तिथियों पर ब्याज भुगतान में चूक होने की स्थिति में और ब्याज सहित बकाया ऋण की राशि अभ्यर्पण मूल्य से अधिक हो जाने पर, निगम ऐसी पॉलिसियों का पूर्वसमापन करने का अधिकारी होगा। पूर्वसमापन किए जाने पर ऐसी पॉलिसियाँ अभ्यर्पण मूल्य और ब्याज के साथ ब्याज ऋण की बकाया राशि के अंतर, यदि कोई हो, के भुगतान की अधिकारी होंगी।

v. पॉलिसी से निकासी के समय दावे की राशि से किसी बकाया ऋण की ब्याज सहित वसूली की जाएगी।

## 12. कुछ घटनाओं में जब्ती

यदि पाया जाता है कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत विवरण, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत कथन है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई है, तो, और ऐसी प्रत्येक स्थिति में पॉलिसी शून्य हो जाएगी और इसके आधार पर किसी भी हितलाभ के सभी दावे समय-समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

## 13. पॉलिसी की समाप्ति

निम्नलिखित में से कोई भी घटना सबसे पहले घटित होने पर पॉलिसी तुरंत और स्वचलित रूप से समाप्त हो जाएगी:

ए) जिस तिथि को एकमुश्त मृत्यु हितलाभ/मृत्यु हितलाभ की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाता है; या

बी) जिस तिथि को पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण हितलाभों का निपटान किया जाता है; या

सी) यदि निपटान विकल्प का प्रयोग नहीं या जाता है, तो परिपक्वता की तिथि पर; या

डी) निपटान विकल्प के अंतर्गत अंतिम किस्तों के भुगतान पर; या

ई) अनुच्छेद 11 में निर्दिष्टानुसार ऋण के ब्याज के भुगतान में चूक होने की स्थिति में; या

एफ) पुनर्चलन अवधि की समाप्ति पर, यदि चुकता पॉलिसी का दर्जा प्राप्त नहीं पॉलिसी को पुनर्चलन की अवधि के भीतर पुनर्चलित नहीं किया गया है;

जी) निशुल्क अवलोकन निरसन राशि के भुगतान पर; या

एच) उपरोक्त अनुच्छेद 12 में निर्दिष्टानुसार जब्ती की स्थिति में

## 14. कर

(i) भारत सरकार या किसी अन्य संवैधानिक भारतीय कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर लगाए गए वैधानिक कर, यदि कोई हो, कर कानूनों के अनुसार होंगे और कर की दर समय-समय पर लागू अनुसार होगी।

इस पॉलिसी के अंतर्गत देय प्रीमियम(मों) पर प्रचलित दरों के अनुसार लागू करों की राशि पॉलिसीधारक द्वारा देय होगी, जिसे पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम(मों) के अलावा अलग से संग्रहित किया जाएगा। भुगतान की गई कर की राशि पर इस योजना के अंतर्गत देय लाभों की गणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) आयकर लाभों/भुगतान की गई प्रीमियम(मों) पर निहितार्थों एवं इस योजना के अंतर्गत देय लाभों के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श करें।

## 15. निशुल्क अवलोकन अवधि

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के नियमों व शर्तों से संतुष्ट नहीं है, तो पॉलिसी दस्तावेज़ की इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि से प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर पॉलिसी को आपत्तियों का कारण बताते हुए निगम को वापस किया जा सकता है। इसकी प्राप्ति पर निगम राइडर को रद्द कर देगा और कवर की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (इस राइडर के लिए) में कटौती करने के बाद राइडर के संबंध में जमा प्रीमियम की राशि वापस कर देगा, राइडर को शामिल करने के कारण चिकित्सा परीक्षा (विशेष रिपोर्ट, यदि कोई हो) पर किए गए खर्च और स्टांप ड्यूटी शुल्क।

## 16. अपवर्जन

**आत्महत्या:**

i. यदि जीवन बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रुप से स्वस्थ हो या फिर अस्वस्थ) जोखिम शुरू होने की तिथि से 12 माह के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करता है, तो निगम इस पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान की गई प्रीमियमों के 80% को छोड़कर अन्य किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा, बशर्ते पॉलिसी प्रभावी हो।

ii. यदि जीवन बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रुप से स्वस्थ हो या फिर अस्वस्थ) पुनर्चलन की तिथि से 12 महीने के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करता है, तो मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियमों के 80% या मृत्यु की तिथि पर उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य में से जो भी अधिक होगा, देय होगा। निगम द्वारा इस पॉलिसी के अंतर्गत अन्य किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

यह अनुच्छेद प्रदत्त मूल्य आर्जत किए बिना कालातीत होने वाली पॉलिसी के लिए लागू नहीं होगा और ऐसी पॉलिसियों के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं होगा।

**टिप्पणी: उपरोक्त संदर्भित प्रीमियमों में कोई भी कर, अतिरिक्त राशि और टर्म एश्योरेन्स हितलाभ, यदि कोई हो, के अलावा कोई भी अन्य हितलाभ प्रीमियम(में) शामिल नहीं हैं।**

## 17. हितलाभ उदाहरण

| वितरण चैनल: | ऑफ़लाइन |
|---|---|
| संभावित ग्राहक/ पॉलिसीधारक का नाम: | |

| प्रस्ताव संख्या: | |
|---|---|
| उत्पाद का नाम: | एलआईसी का जीवन लाभ |

| | |
|---|---|
| आयु: | |
| बीमित व्यक्ति का नाम: | |
| आयु: | **30** |
| पॉलिसी अवधि: | **25** |
| प्रीमियम भुगतान की अवधि: | **16** |
| किस्त प्रीमियम की राशि: | **10025.00** |
| (मूल योजना के लिए किस्त प्रीमियम) | |
| प्रीमियम भुगतान की विधि: | **वार्षिक** |

| | |
|---|---|
| टैग लाइन: | एक सहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत बचत योजना |
| विशिष्ट पहचान संख्या: | 512NxxxVxx |
| जीएसटी की दर (प्रथम वर्ष): | 4.50% |
| जीएसटी की दर (द्वितीय वर्ष से): | 2.25% |
| ध्यान रखें: जीएसटी की दर समय-समय पर लागू अनुसार होगी, वर्तमान में इसे छूट दी गई है। | |

यह हितलाभ संबंधी उदाहरण किस प्रकार पढ़ा और समझा जाना चाहिए?

इस हितलाभ संबंधी उदाहरण का उद्देश्य ब्याज की दो अनुमानित दरों, अर्थात 8% प्रति वर्ष और 4% प्रति वर्ष की दर से पॉलिसी के अंतर्गत देय प्रीमियमों और हितलाभों को वर्ष-वार दर्शाना है।

कुछ हितलाभ गारंटीकृत हैं और कुछ हितलाभ जीवन बीमा का व्यवसाय करने वाले आपके बीमाकर्ता के भविष्य के निष्पादन के आधार पर प्रतिफल के साथ परिवर्तनीय हैं। यदि आपकी पॉलिसी गारंटीकृत हितलाभ प्रदान करती है, तो इन्हें इस पृष्ठ पर उदाहरण तालिका में स्पष्ट रूप से गारंटीकृत के रूप में अंकित किया जाएगा। यदि आपकी पॉलिसी परिवर्तनीय हितलाभ प्रदान करती है, तो इस पृष्ठ पर दृष्टांत में 8% प्रति वर्ष और 4% प्रति वर्ष के अनुमानित भविष्य के निवेश प्रतिफल की दो अलग-अलग दरें दर्शाई जाएँगी। प्रतिफल की ये अनुमानित दरें गारंटीकृत नहीं हैं और आपको जो वापस मिल सकती हैं उसकी ऊपरी या निचली सीमा नहीं हैं, क्योंकि आपकी पॉलिसी का मूल्य भविष्य में निवेश के निष्पादन सहित कई कारकों पर निर्भर करेगा।

| **पॉलिसी संबंधी विवरण** | | | |
|---|---|---|---|
| पॉलिसी विकल्प | | मूल बीमा राशि रु. | 200000 |
| बोनस का प्रकार | सरल प्रत्यावर्तनीय और अंतिम अतिरिक्त बोनस | मृत्यु पर बीमा राशि (पॉलिसी की शुरुआत में) रु. | 200000 |

| **प्रीमियम का सारांश** | | | |
|---|---|---|---|
| | मूल योजना | राइडर 1 | कुल किस्त प्रीमियम |
| जीएसटी के बिना किस्त प्रीमियम | 10025.00 | | 10025.00 |
| पहले वर्ष की जीएसटी के साथ किस्त प्रीमियम | 10476.00 | | 10476.00 |
| दूसरे वर्ष से जीएसटी के साथ किस्त प्रीमियम | 10250.56 | | 10250.56 |

राशि रु. में

| पॉलिसी वर्ष (वर्ष का समापन) | वार्षिक2 प्रीमियम (संचयी) | गारंटीड अभिवृद्धियाँ | | | 4% प्रति वर्ष की दर बिना गारंटीकृत हितलाभ | | | | 8% प्रति वर्ष की दर बिना गारंटीकृत हितलाभ | | | | कुल हितलाभ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | परिपक्वता हितलाभ | | मृत्यु हितलाभ4 | |
| | | गारंटीड अभिवृद्धियाँ मूल्य | मृत्यु हितलाभ | परिपक्वता हितलाभ | प्रत्यावर्तनीय बोनस | कुल गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य3 | विशेष अभ्यर्पण मूल्य3 | अभ्यर्पण लाभ | प्रत्यावर्तनीय बोनस | कुल गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य3 | विशेष अभ्यर्पण मूल्य3 | अभ्यर्पण लाभ | कुल परिपक्वता हितलाभ, 4% की दर से अंतिम अतिरिक्त बोनस सहित, यदि कोई हो (5+6+एफएबी) | कुल परिपक्वता हितलाभ, 4% की दर से अंतिम अतिरिक्त बोनस सहित, यदि कोई हो (5+10+एफएबी) | कुल मृत्यु हितलाभ, 4% की दर से अंतिम अतिरिक्त बोनस सहित, यदि कोई हो (5+7+एफएबी) | कुल मृत्यु हितलाभ, 8% की दर से अंतिम अतिरिक्त बोनस सहित, यदि कोई हो (4+10+एफएबी) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 10025 | 0 | 200000 | 0 | 800 | 0 | 2328 | 2328 | 6000 | 0 | 2328 | 2328 | 0 | 0 | 200800 | 206000 |
| 2 | 20050 | 6015 | 200000 | 0 | 1600 | 6015 | 4985 | 6015 | 12000 | 6015 | 4985 | 6015 | 0 | 0 | 201600 | 212000 |
| 3 | 30075 | 10526 | 200000 | 0 | 2400 | 10893 | 8519 | 10893 | 18000 | 13276 | 11849 | 13276 | 0 | 0 | 202400 | 218000 |
| 4 | 40100 | 20050 | 200000 | 0 | 3200 | 20543 | 12167 | 20543 | 24000 | 23751 | 16924 | 23751 | 0 | 0 | 203200 | 224000 |
| 5 | 50125 | 25063 | 200000 | 0 | 4000 | 25685 | 16299 | 25685 | 30000 | 29728 | 22672 | 29728 | 0 | 0 | 204000 | 230000 |
| 6 | 60150 | 30075 | 200000 | 0 | 4800 | 30830 | 20955 | 30830 | 36000 | 35734 | 29149 | 35734 | 0 | 0 | 204800 | 236000 |
| 7 | 70175 | 35088 | 200000 | 0 | 5600 | 35980 | 26180 | 35980 | 42000 | 41779 | 36415 | 41779 | 0 | 0 | 205600 | 242000 |
| 8 | 80200 | 41544 | 200000 | 0 | 6400 | 42582 | 32069 | 42582 | 48000 | 49330 | 44607 | 49330 | 0 | 0 | 206400 | 248000 |
| 9 | 90225 | 48270 | 200000 | 0 | 7200 | 49464 | 38663 | 49464 | 54000 | 57223 | 53780 | 57223 | 0 | 0 | 207200 | 254000 |
| 10 | 100250 | 55438 | 200000 | 0 | 8000 | 56800 | 46031 | 56800 | 60000 | 65656 | 64029 | 65656 | 0 | 0 | 208000 | 260000 |
| 11 | 110275 | 62967 | 200000 | 0 | 8800 | 64514 | 54277 | 64514 | 66000 | 74570 | 75499 | 75499 | 0 | 0 | 208800 | 266000 |
| 12 | 120300 | 70736 | 200000 | 0 | 9600 | 72424 | 63457 | 72424 | 72000 | 83394 | 88267 | 88267 | 0 | 0 | 209600 | 272000 |
| 13 | 130325 | 78977 | 200000 | 0 | 10400 | 80814 | 73673 | 80814 | 78000 | 92752 | 102477 | 102477 | 0 | 0 | 210400 | 278000 |
| 14 | 140350 | 87578 | 200000 | 0 | 11200 | 89577 | 85056 | 89577 | 84000 | 102572 | 118311 | 118311 | 0 | 0 | 211200 | 284000 |
| 15 | 150375 | 96390 | 200000 | 0 | 12000 | 98569 | 97695 | 98569 | 90000 | 112734 | 135892 | 135892 | 0 | 0 | 212000 | 291000 |
| 16 | 160400 | 105704 | 200000 | 0 | 12800 | 108085 | 111741 | 111741 | 96000 | 123560 | 155430 | 155430 | 0 | 0 | 212800 | 297000 |
| 17 | 160400 | 108430 | 200000 | 0 | 13600 | 111038 | 120278 | 120278 | 102000 | 127994 | 170056 | 170056 | 0 | 0 | 213600 | 304000 |
| 18 | 160400 | 111318 | 200000 | 0 | 14400 | 114188 | 129498 | 129498 | 108000 | 132842 | 186032 | 186032 | 0 | 0 | 214400 | 311000 |
| 19 | 160400 | 114205 | 200000 | 0 | 15200 | 117374 | 139450 | 139450 | 114000 | 137974 | 203472 | 203472 | 0 | 0 | 215200 | 318000 |
| 20 | 160400 | 116932 | 200000 | 0 | 16000 | 120450 | 150250 | 150250 | 120000 | 143320 | 222592 | 222592 | 0 | 0 | 216000 | 325000 |
| 21 | 160400 | 119819 | 200000 | 0 | 16800 | 123747 | 161950 | 161950 | 126000 | 149278 | 243522 | 243522 | 0 | 0 | 216800 | 332000 |
| 22 | 160400 | 122706 | 200000 | 0 | 17600 | 127115 | 174646 | 174646 | 132000 | 155772 | 266463 | 266463 | 0 | 0 | 217600 | 341000 |
| 23 | 160400 | 125433 | 200000 | 0 | 18400 | 130412 | 188479 | 188479 | 138000 | 162776 | 291694 | 291694 | 0 | 0 | 218400 | 350000 |
| 24 | 160400 | 144360 | 200000 | 0 | 19200 | 150120 | 203549 | 203549 | 144000 | 187560 | 319438 | 319438 | 0 | 0 | 219200 | 359000 |
| 25 | 160400 | 144360 | 200000 | 200000 | 20000 | 151360 | 220000 | 220000 | 150000 | 196860 | 370000 | 370000 | 220000 | 370000 | 220000 | 370000 |

टिप्पणियाँ:

इस उदाहरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पादों की विशेषताएँ और कुछ स्तर तक परिमाणीकरण के साथ विभिन्न परिस्थितियों में लाभ का प्रवाह पहचान पाएँ।

यह उदाहरण एक मानक (चिकित्सीय, जीवन शैली और व्यवसायिक दृष्टि से) जीवन पर लागू होता है।

1. इसमें पॉलिसी आरंभ होने पर प्रस्तावक/पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए सभी राइडर(रों) के संबंध में राइडर प्रीमियम शामिल हैं।
2. वार्षिक प्रीमियम में जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, प्रीमियम पर आवृत्ति प्रभार, राइडरों के प्रति भुगतान की गई प्रीमियम, यदि कोई हो, और वस्तु और सेवा कर शामिल नहीं हैं। इस उदाहरण में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या के लिए विक्रय साहित्य देखें।
3. अभ्यर्पण मूल्य गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी) और विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) में से उच्चतर होगा। विशेष अभ्यर्पण मूल्य की आईआरडीएआई के जीवन बीमा उत्पादों पर प्रधान परिपत्र देखें: आईआरडीएआई/एसीटीएल/एमएसटीसीआई/एमआईएससी/89/6/2024 दिनांकित 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किन्हीं अनुवर्ती परिपत्रों के अनुरूप समीक्षा की जाएगी। अभ्यर्पण मूल्य की गणना के लिए, यह माना गया है कि वार्षिक मूल्यांकन परिणामों की शर्तों और नियमों के अनुसार रीति से इस उत्पाद के अंतर्गत निगम के अनुभव के आधार पर बोनस घोषित किए जाने पर निहित हो जाएँगे।
4. किसी भी स्थिति में पॉलिसी अवधि के दौरान कुल मृत्यु हितलाभ कुल भुगतान की गई प्रीमियम (जीएसटी, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, को छोड़कर) के 105% से कम नहीं होगा।

- बीमांकिक जाँच से उत्पन्न होने वाले अधिशेष में से पॉलिसीधारकों को वास्तविक आवंटन केंद्र सरकार द्वारा एलआईसी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत इस संबंध में प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा।

## 18. शिकायत निवारण तंत्र:

**निगम का:**

ग्राहकों के शिकायतों के निवारण के लिए शाखा/मंडलीय/क्षेत्रीय/केंद्रीय कार्यालयों में निगम के शिकायत निवारण अधिकारी होते हैं। ग्राहक जीआरओ के नाम और संपर्क संबंधी विवरणों और शिकायतों से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट (https://licindia.in/web/guest/grievances) पर विज़िट कर सकते हैं।

ग्राहकों की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए निगम ने अपने ग्राहक पोर्टल (वेबसाइट: http://www.licindia.in) के माध्यम से ग्राहक–अनुकूल, एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है, जहां पर कोई भी पंजीकृत पॉलिसीधारक शिकायत/परिवाद का पंजीकरण करा सकता है और उसकी स्थिति को देख सकता है। किसी भी शिकायत के निवारण के लिए ग्राहक ई–मेल co_complaints@licindia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मृत्युगत दावों का अस्वीकृति के निर्णय से असंतुष्ट दावाकर्ताओं के पास, अपने मामलों के पुनरीक्षण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा परिवाद निवारण समिति या केंद्रीय कार्यालय दावा परिवाद निवारण समिति के पास ले जाने का विकल्प है। उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रत्येक दावा विवाद निवारण समिति का सदस्य होता है।

**आईआरडीएआई का:**

यदि ग्राहक हमारे उत्तर से संतुष्ट नहीं है या हमसे 15 दिनों के अंदर कोई उत्तर नहीं मिलता है तो ग्राहक, निम्नलिखित किसी भी माध्यम से संरक्षण और शिकायत निवारण कक्ष में जा सकता है:

i) टोल फ्री नंबर 155255/18004254732 (यानी आईआरडीएआई शिकायत कॉल सेंटर – (बीमा भरोसा शिकायत निवारण केंद्र) पर कॉल करें।

ii) complaints@irdai.gov.in पर ई–मेल करके

iii) इंटरनेट के माध्यम से https://bimabharosa.irdai.gov.in/ पर शिकायत दर्ज करके

iv) कूरियर/पत्र द्वारा शिकायत भेजने के लिए पता: महाप्रबंधक, पॉलिसीधारकों की सुरक्षा और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, सर्वे संख्या – 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, गाची बावली, हैदराबाद 500032, तेलंगाना।

**लोकपाल का:**

दावे से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए, दावाकर्ता बीमा लोकपाल के पास भी जा सकते हैं जो ग्राहकों को कम लागत पर तीव्र मध्यस्थता प्रदान करते हैं।

**बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45:**

समय–समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान लागू होंगे। वर्तमान प्रावधान इस प्रकार है:

(1) पॉलिसी की तिथि, यानी पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 वर्ष समाप्त होने के पश्चात जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर किसी भी आधार पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

(2) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर धोखाधड़ी के आधार पर पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के हितलाभ की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 वर्ष समाप्त होने के भीतर किसी भी समय प्रश्न उठाया जा सकता है:

बशर्ते, बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को ऐसे आधारों एवं तथ्यों की लिखित सूचना देनी होगी, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

स्पष्टीकरण I – इस उप–धारा के उद्देश्य से, अभिव्यक्ति "धोखाधड़ी" से आशय बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने, या बीमाकर्ता को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने हेतु उकसाने की मंशा से निम्नांकित में से कोई भी कृत्य किया जाता है:–

(ए) सुझाव, उस बारे में एक तथ्य के रूप में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

(बी)उस बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, जिसे उस तथ्य का ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;

(सी)धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं

(डी)ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित हो।

स्पष्टीकरण II – बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के आकलन को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में सिर्फ चुप रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार, बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता का यह कर्तव्य है, बोलने से चुप रहना, या अन्यथा उसकी खामोशी, अपने आप में बोलने के बराबर न हो।

(3) उपधारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी बीमाकर्ता किसी जीवन बीमा पॉलिसी को धोखाधड़ी के आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकता है, अगर बीमित व्यक्ति/लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि उसके द्वारा की गई गलतबयानी उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही थी और उसने जानखबूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं की या कथित गलतबयानी या महत्त्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था:

बशर्ते धोखाधड़ी के मामले में इसे गलत साबित करने का दायित्व लाभाथियों पर है अगर पॉलिसीधारक जीवित नहीं है।

स्पष्टीकरण – कोई व्यक्ति जो बीमा के अनुबंध का आग्रह और उसकी सौदेबाजी करता है, उसे संविदा के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का अभिकर्ता माना जाएगा।

(4) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी करने की तिथि या जोखिम के आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय, इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि बीमित व्यक्ति के जीवनकाल से संबंधित किसी तथ्य को प्रस्ताव प्रपत्र में या किसी अन्य दस्तावेज में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्चलित की गई थी या राइडर जारी किया गया था, छिपाया गया था या गलत दिखाया गया था:

बशर्ते बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा की पॉलिसी को अस्वीकृत करने का यह निर्णय लिया गया है:

बशर्ते महत्त्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत किए जाने तथा धोखाधड़ी की स्थिति न होने पर, अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर जमा की गई सभी प्रीमियमों का भुगतान बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितियों को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उप–धारा के प्रयोजन हेतु, किसी तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने को तब तक महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न हो, यह प्रमाणित करने का दायित्व बीमाकर्ता का होगा कि अगर बीमाकर्ता को स्थापित तथ्य की जानकारी होती तो वह बीमित व्यक्ति को यह जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करता।

(5) इस धारा में निहित कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण मांगने से नहीं रोकती है, अगर वह इसके लिए अधिकृत है तथा किसी पॉलिसी पर केवल इसलिए प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि प्रस्ताव में गलत उल्लेख की गई बीमित व्यक्ति की उम्र को सबूत के आधार पर बाद में समायोजित किया गया था।

## छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 का धारा 41):

1) किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ती से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के बारे में कोई बीमा लेने या उसका नवीनीकरण करवाने या उसे जारी रखने, देय कमीशन में से संपूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट देने या पॉलिसी पर दर्शाई गई प्रीमियम में से कोई भी छूट देने की अनुमति नहीं होगी या अनुमति प्रस्तावित नहीं होगी और न ही कोई व्यक्ति तब तक किसी तरह की छूट स्वीकार करके कोई पॉलिसी नहीं लेगा या उसका नवीनीकरण नहीं करवाएगा या उसे जारी नहीं रखेगा, जब तक कि ऐसी छूट बीमाकर्ता की तालिका या प्रकाशित विवरणिका के अनुसार मान्य न हो।

2) धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने से चूक करने वाला व्यक्ति जुर्माने से दण्डित होगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है।

एलआईसी पर लागू होने वाले, बीमा अधिनियम, 1938 की विभिन्न धाराएं, समय–समय पर यथा संशोधित रूप से लागू होगी।

यह उत्पाद विवरणिका इस योजना की केवल प्रमुख विशेषताएँ ही बताती है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारे निकटतम शाखा कार्यालय पर संपर्क करें।

**कपटपूर्ण फोन कॉल और नकली/धोखाधड़ीपूर्ण प्रस्तावों से सावधान रहें।**

आईआरडीएआई बीमा पॉलिसियाँ बेचने, बोनस घोषित करने या प्रीमियमों का निवेश करने जैसी गतिविधियों में संलग्न नहीं है। ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएँ।

**भारतीय जीवन बीमा निगम**

"भारतीय जीवन बीमा निगम" की स्थापना 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जीवन बीमा का विस्तार मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक करने के उद्देश्य के साथ की गई थी, जिससे कि यह देश के हर बीमा योग्य व्यक्ति तक पहुंच सके और उसे बीमा योग्य घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक संरक्षण प्रदान कर सके। भारतीय बीमा उद्योग के उदारीकरण के बाद भी एलआईसी निरतंर एक महत्त्वपूर्ण बीमा कंपनी की भूमिका निभा रहा है तथा अपने पुराने कीर्तिमानों को पीछे छोड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने अस्तित्व के छः दशकों को पार करते हुए एलआईसी अपने प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक मजबूती के साथ निरंतर अग्रसर है।

पंजीकृत कार्यालय:

**भारतीय जीवन बीमा निगम,**

केन्द्रीय कार्यालय,

योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई – 400021.

वेबसाइट: www.licindia.in

पंजीकरण संख्या: 512